राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कजोड बनाम मन्जू देवी

तारीख हुक्म	1570/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/01/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का सेवापुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेवापुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 77 पुराना 72 के हाल खसरा न. 4 रकबा 2.1700 है, खसरा न. 5 रकबा 1.3900 है, खसरा न. 6/241 रकबा 0.1300 है. कुल किता 03 कुल रकबा 3.6900 हैक्टेयर भूमि मे वादीया का हिस्सा 5/16 व शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074-2077 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है इस प्रकार उक्त भूमि पर वादीया एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 सहकाश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 पहले तो भूमि का विधिवत बटवारा करवाने हेतु हामी भरते रहे लेकिन जयपुर जिले मे जमीनो के भाव बढ जाने के कारण उनके मन में खोट आ गया अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 वादपत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का बिना विधिवत तकासमा करवाये ही बैचान करने पर आमद है तथा वादीया को ऐलानिया धमकी देते है कि वह बिना विभाजन कराये सामलाती काश्त की भूमि का बेचान सोसायटी या अन्य व्यक्तियों को कर देगें जो उक्त भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डो मे विभक्त कर कॉलोनी काट देंगे एवं जबरिया रूप से वादीया को कब्जे कास्त कि भूमि से बेदखल कर देगे ऐसी अवस्था मे विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाना आवश्यक हुआ है। यह कि वाद कारण 22.04.2025 को जब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ता 16. वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अराजियात का बिना विधिवत् विभाजन करवाये ही अजनबी व्यक्तियों को बैचान करने पर आमदा है। तथा बाहुबल के आधार पर उक्त भूमि का छोटे छोटे भूखण्डो मे विभक्त कर बैचान करने पर उतारू हो गये ऐसी अवस्था में दावा बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा लाना आवश्यक हुआ। वादीया ने अपने वाद में अनुतोष चाहा कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री	

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कजोड बनाम मन्जू देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

फरमाया जावे कि न्यायालय हाजा वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का सेवापुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेवापुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर मे स्थित आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 77 पुराना 72 के हाल खसरा न. 4 रकबा 2.1700 है, खसरा न. 5 रकबा 1.3900 है., खसरा न. 6/241 रकबा 0.1300 है, कुल किता 03 कुल रकबा 3.6900 हैक्टेयर भूमि को मिट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी मे अच्छी एंव बुरी मे बुरी) के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर अलग अलग खाता व लगान कायम किया जावे एंव राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करवाया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2,4,13, 5 लगायत 11 एवं 15 की और से वकालतनामा प्रस्तुत होने पर दिनांक 13/08/2025 को प्रतिवादी संख्या 2,4,13,5 लगायत 11 व 15 की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया | प्रतिवादी संख्या 12/2/1, 12/2/2 व 14, 16 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/08/2025 पारित की गयी | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस एवं रेस्पो. की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन विभाजन के वाद में विवादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियम 18 से 21(राजस्व मण्डल अजमेर) की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर उभयपक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे को मध्यनजर रखते हुये पहुंच मार्ग/रास्ता प्रदान करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | विधि के प्रावधानों के अनुसार भी सहखातेदारों के मध्य विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद में यदि काउन्टर क्लेम अथवा राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से के सन्दर्भ में कोई आपत्ति किसी भी पक्षकार द्वारा दर्ज नही कराई जाती है तो मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने न्यायोचित्त होते है |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**कजोड बनाम मन्जू देवी** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई आपति प्रकट नही की गयी है | अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिन्क 20/08/2025 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखी जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर